प्रेस नोट

जनपद-भदोही

दिनांक-24.08.2026

भदोही पु लस की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीतिः भ्रष्टाचार और लापरवाही जैसे गंभीर आरोपों पर भदोही पु लस की बड़ी कार्यवाही, 05 पु लसकर्मी निलंबित

पु लस अधीक्षक श्री अ भनव त्यागी के सख्त निर्देश—कर्तव्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं भ्रष्ट आचरण पर होगी कठोर कार्यवाही

पु लस वभाग में अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा पु लसक र्मयों के वरुद्ध प्राप्त शकायतों का निष्पक्ष एवं प्रभावी निस्तारण करने के क्रम में पु लस अधीक्षक भदोही *श्री अ भनव त्यागी* द्वारा गंभीरता से संज्ञान लेते हुए 05 पु लसक र्मयों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कया गया है। संबं धत प्रकरणों में नियमानुसार वभागीय जांच भी प्रच लत की गई है। पु लस अधीक्षक द्वारा स्पष्ट कया गया है क पु लस वभाग की गरिमा एवं आमजन के वश्वास के साथ कसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं कया जाएगा। ड्यूटी में लापरवाही, उच्चा धकारियों के निर्देशों की अवहेलना, ववेचनाओं में श थलता अथवा कसी भी प्रकार के भ्रष्ट आचरण की शकायत पर तत्काल संज्ञान लेकर नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी।

निलंबित पु लसक र्मयों का ववरण एवं उनके वरुद्ध कार्यवाही का कारण:

01.उप निरीक्षक श्याम नारायण यादव (थाना ज्ञानपुर):

कार्यवाही का कारण : ग्राम बथानीर की आवेदिका द्वारा उसकी पुत्री के साथ हुए गलत कृत्य के सम्बंध में ल खत शकायत की दी थी। जिसमें उप नि0 द्वारा महिला संबं धत अपराध में श थलता बरतते हुए शकायतकर्ता की समस्या के समु चत एवं समयबद्ध निराकरण हेतु अपे क्षत वैधानिक कार्रवाई न करने तथा कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही एवं कार्यप्रणाली में अनुशासनहीनता के आरोप प्रथम ष्टया पाए गए। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उप निरीक्षक श्याम नारायण यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कया गया है।

02.उप निरीक्षक वष्णुकान्त मश्रा (थाना औराई):

कार्यवाही का कारण : ववेचनाओं के निस्तारण एवं लंबित ववेचनाओं के संबंध में उच्चा धकारियों द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का अपे क्षत अनुपालन न करने तथा ववेचना कार्य में श थलता बरतने के संबंध में शकायत प्राप्त हुई थी। जांच में प्रथम ष्टया कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता पाए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए वभागीय जांच प्रच लत की गई है।

03.उप निरीक्षक महेन्द्र राम (थाना चौरी):

कार्यवाही का कारण : थाना चौरी में पंजीकृत मुकदमे में अपहृता की बरामदगी एवं अ भयुक्त की गरफ्तारी के संबंध में अपे क्षत एवं प्रभावी ववेचनात्मक कार्रवाई न कए जाने तथा ववेचनात्मक कार्यवाही में अपे क्षत तत्परता एवं संवेदनशीलता न बरतने के आरोपों की जांच कराई गई। जांच में प्रथम ष्टया आरोपों की पुष्टि पाए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कया गया है।

04.मुख्य आरक्षी नगेन्द्र कुमार गौतम व आरक्षी सुनील कुमार (थाना ऊंज):

कार्यवाही का कारण : सोशल मी डया पर प्रसारित एक वी डयो क्लिप के संबंध में शकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें पु लसक र्मयों द्वारा जमीनी प्रकरण में अवैध तरीके से हस्तक्षेप की सं लप्तता प्राप्त हुई थी, प्रकरण का संज्ञान लेते हुए वी डयो क्लिप का अवलोकन एवं प्रारं भक जांच कराई गई। जांच में प्रकरण प्रथम ष्टया गंभीर एवं पु लस वभाग की छ व को प्रभा वत करने वाला पाए जाने पर दोनों पु लसक र्मयों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए वभागीय जांच प्रच लत की गई है।

पु लस अधीक्षक श्री अ भनव त्यागी ने सभी अधीनस्थ अ धकारियों एवं कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं क जन शकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण, निष्पक्ष ववेचना, पारद र्शता एवं ईमानदारी सर्वोपरि है। ड्यूटी में लापरवाही, उच्चा धकारियों के निर्देशों की अवहेलना, ववेचनाओं में श थलता अथवा पद का दुरुपयोग करने वालों के वरुद्ध भ वष्य में भी बिना कसी भेदभाव के कठोरतम दंडात्मक एवं वभागीय कार्यवाही की जाएगी।

भदोही पु लस आमजन को एक निष्पक्ष, पारदर्शी, संवेदनशील एवं जवाबदेह पु लस व्यवस्था उपलब्ध कराने के लए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।